R. M. M. Law College Saharan

Nareshji Anand

Muslim Law

L.L.B Part II nd
Paper-1st Muslim Law

वसीयत

इस्लाम के पदार्पण के साथ-साथ कुरान में निश्चित विशिष्ट नियम आये, जो उत्तराधिकारियों द्वारा सम्पत्ति के वितरण को नियंत्रित करते हैं; अतः तब सोचा गया कि व्यक्ति को वसीयत के असीमित अधिकार द्वारा उत्तराधिकार के इन नियमों की उपेक्षा करने की अनुमति देना वांछनीय होगा। इस्लाम ने अब वसीयत करने की शक्ति को सीमित किया, ताकि वह अपनी सम्पदा के एक तिहाई से अधिक अंश वसीयत न कर सके। यह कुरान में नहीं लिखा है बल्कि विभिन्न किंवदंती के आधार पर है।

वसीयत शब्द का एक आशय "नैतिक आग्रह" भी होता है। हमारे विषयान्तर्गत इसका अर्थ हुआ एक मुसलमान द्वारा उसकी सम्पत्ति के वितरण की व्यवस्था सम्बन्धी उसके नैतिक कर्तव्य के पालन में की गयी घोषणा। अतः हम यहाँ दो परस्पर विरोधी धारणाओं का समन्वय देख सकते हैं: एक मरणोपरान्त सम्पत्ति के वितरण सम्बन्धी दैवी विधि के

साथ किसी प्रकार की छेड़ छाड़ अनुमत नहीं होती। मान्यता है कि प्रत्येक मुसलमान का नैतिक कर्तव्य है कि निर्धारित सीमाओं के अन्दर सम्पत्ति के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था करे। फैजी का मत है कि सामान्यतया मुसलमान वसीयत द्वारा सम्पत्ति के वितरण के विरुद्ध होता है, फिर भी एक नैतिक मान्यता है कि उसे वसीयत अवश्य बनानी चाहिए इस प्रकार यह नैतिक सदुपदेश तथा विधिक सदाचार – दोनों के बीच एक समन्वय प्रयत्न है।

भारत में मुसलमान द्वारा बनायी गयी वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन रहते हुए मुस्लिम विधि द्वारा शासित होती है।

इब्न मुख्तार का कहना है कि" वसीयत मृत्यु पश्चात प्रभाव में आने वाला सम्पत्ति का सुपुर्दगी है।"

तैयबजी का कहना है," एक मुसलमान द्वारा उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसकी इच्छा की विधिक घोषणा, जिसे वह उसकी मृत्यु पश्चात प्रभाव में लाना चाहता है।"

वसीयतकर्ता

स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क मुसलमान वसीयत बना सकता है। यद्यपि मुस्लिम विधि में वयस्कता पर आधारित मानी जाती है, जो कि 15 वर्ष की आयु होने पर प्राप्त कर ली जाती है ऐसी मान्यता है, फिर भी भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार

वर्ष की आयु प्राप्त करना किसी व्यक्ति की वयस्कता के लिए आवश्यक माना है।

यदि वसीयतकर्ता के शरीर अथवा सम्पत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया हो अथवा उसकी सम्पत्ति प्रतिपाल्य न्यायालय के नियंत्रण में है तो इसकी वयस्कता आयु इक्कीस वर्ष पूर्ण होने पर प्राप्त होगी।

अभित्याग

हिन्दू शास्त्र के अनुसार अभित्याग के कारण अन्य किसी प्रकार से वैध वसीयत अवैध नहीं होती। यदि एक महिला धर्म त्याग करती है तो उसके द्वारा बनायी गयी वसीयत उस धर्म के अनुसार वैध होगी जिसको उसने स्वीकार किया है। किन्तु उपरोक्त रूढ़ि आधारित नियम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के अन्तर्गत में आने के पश्चात प्रभावहीन हो चुके हैं, कारण इस अधिनियम के अनुसार अभित्याग के कारण किसी प्रकार की निर्योग्यता उत्पन्न नहीं होती।

पागलपन :-

यदि एक पागल व्यक्ति वसीयत करता है तो वह शून्य होगी और बाद में उसके स्वस्थ होने पर भी शून्य बनी रहेगी। भले ही वह अंत तक स्वस्थ रहा हो। पागल व्यक्ति द्वारा स्वस्थता की अवधि में रचित विल उस दशा में वैध होगी जब कि वह 6 माह से अधिक पागलपन के दौरे में नहीं रहा हो।

Scanned with CamScanner

निर्वाचन्नापन — यदि वसीयतकर्ता आगे सम्पूर्ण वादा के बराबर करते है तो उसकी वसीयत अवैध होगी किन्तु यह ज्ञान आंशिक द्वारा आपत्ति होने से बिल प्रभावी होता है।

प्रस्तुत किया हुआ व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। बिल बनाने के बाद आत्महत्या करने पर बिल अवैध हो जाता है परन्तु किसी विधि के अनुसार बिल बनाने के बाद आत्महत्या करने से बिल पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

वसीयत सिद्ध करने का भार :- जो व्यक्ति किसी वसीयत के अस्तित्व का दावा करता है उसी का दायित्व बनता है कि साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करे कि वसीयतकर्ता ने यह वसीयत बनायी थी। जब किसी लिखत के, चाहे बिल हो या अन्य प्रकार की व्यवस्था निष्पादित होने का प्रमाण स्थापित हो जाता है तब उसके अनुचित दबाव में रचना के विपरीत दावा करने वाले का दायित्व बनता है कि बिल का गलत होना सिद्ध करे। बिल के अलावा अन्य लिखित के बारे में जो दावा करता है कि निष्पादक उस दस्तावेज को ठीक तरह समझने की मानसिक क्षमता में नहीं था, उसे ही अपना दावा सिद्ध करना पड़ेगा।

अतः उक्त व्याख्यान से वसीयतकर्ता कौन हो सकता है और कौन नहीं स्पष्ट हो जाता है।